

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ (जिला श्रीगंगानगर)  
पीठासीन अधिकारी कन्हैयालाल सोनगरा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या:-26/2024  
GCMS CASE NO-2024/26

दायरा दिनांक 24.06.2024

भागीरथ पुत्र मुखराम जाति जाट साकिन भैरुपुरा उर्फ सीलवानी तहसील सूरतगढ़  
—अपीलांत

बनाम

- 1 गदनलाल पुत्र स्व. श्री मोटाराम जाति जाट साकिन भैरुपुरा उर्फ सीलवानी तहसील सूरतगढ़
- 2 बलवन्त पुत्र स्व.श्री मोटाराम जाति जाट साकिन भैरुपुरा उर्फ सीलवानी तहसील सूरतगढ़
- 3 बनवारी पुत्र स्व.श्री मोटाराम जाति जाट साकिन भैरुपुरा उर्फ सीलवानी तहसील सूरतगढ़
- 4 रविना पुत्री स्व.श्री मोटाराम पत्नी श्री .....डिडारिया जाति जाट साकिन भैरुपुरा उर्फ सीलवानी तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज)। द्वितीय पता :- साकिन सिद्धवाला (खिलेरियावाला) तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
- 5 विधा पत्नी स्व. श्री मोटाराम जाति जाट साकिन भैरुपुरा उर्फ सीलवानी तहसील सूरतगढ़
- 6 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़।
- 7 उप पंजीयक सूरतगढ़

—रेस्पोंडेंट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित:-

1. श्री शिशपाल शर्मा, अधिवक्ता अपीलांत
2. पैरोकार राज, रेस्पोंडेंट संख्या 6

-:: निर्णय ::-

दिनांक 23.10.2024

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोंडेंट्स संख्या 1 ता 5 के पिता/पति मोटाराम पुत्र बुधराम के नाम से तहसील सूरतगढ़ के चक 16 एस.एल.डी.ए. के खाता 10 के पत्थर न 83/380 (5) के किला न 23 मे 0.240 हैक् कमाण्ड व पत्थर न 83/381 (14) के किला न 4-5 मे 0.506 हैक् कुल 0.746 हैक् कमाण्ड रकवा मे 1/2 हिस्सा खातेदारी रकवा था इस रकवा मे से खातेदार मोटाराम ने अपने जीवन काल में ही खाता न 10 के पत्थर न 83/380 (5) के किला न 23 के 0.240 हैक् व पत्थर न 83/381 (14) के किला न 4-5 मे 0.506 हैक् कुल 0.746 हैक् कमाण्ड रकवा मे से अपने 1/2 हिस्सा खातेदारी मे से 0.133 हैक् रकवा पूर्ण प्रतिफल लेकर दिनांक 05.03.2018 को पूर्ण प्रतिफल लेकर दिनांक 05.03.2018 को रकवा बैयान कर कब्जा अपीलांत को सौंप कर रजिस्टर्ड बैयनामा अपीलांत के पक्ष मे उप पंजीयक सूरतगढ़ से तस्दीक करवा दिया। अपीलांत ने उसी समय उक्त बैयनामा की फौटो प्रति पटवारी हल्का को दे दी परन्तु पटवारी हल्का ने अपीलांत के नाम इन्तकाल दर्ज नहीं किया व रेस्पोंडेंट्स के पिता मोटाराम के फौत हो जाने के बाद रेस्पोंडेंट्स संख्या 1 ता 5 ने अपने पिता के शेष रकवा का विरास्तान इन्तकाल दर्ज करवाते समय अपीलांत द्वारा खरीदे गये रकवा का भी इन्तकाल न. 141 दिनांक 06.06.2024 से अपने नाम अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ़ से स्वीकृत करवा लिया है। अतः अपील अपीलांत स्वीकार की जाकर जैर अपील इन्तकाल निरस्त किया जावे तथा अपीलांत द्वारा जरिये पंजीकृत बैयनामा दिनांक 05.03.2018 द्वारा खरीदशुदा भूमि का इन्तकाल अपीलांत के नाम से दर्ज करने का आदेश अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ़ को दिया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंटगण को जरिये सम्मन तलव किया गया। रेस्पोंडेंट संख्या 02 को सम्मन विधिवत रूप से तामील होने के उपरांत भी हाजिर नहीं आने पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। रेस्पोंडेंट संख्या 1 व 3 ता 5 की ओर से अधिवक्ता श्री श्याम चुघ द्वारा उपस्थित होकर बकालतनामा पेश किया गया परन्तु आज अनुपस्थित रहे। रेस्पोंडेंट संख्या 6 की ओर से पैरोकार राज उपस्थित हुए। रेस्पोंडेंट संख्या 7 को नोटिस विधिवत रूप से तामील होने के उपरांत भी आज दिनांक तक अनुपस्थित रहे है। अधीनस्थ न्यायालय के संबंधित अभिलेख की प्रमाणित प्रति प्राप्त हुई जो शामिल की गई।

आतिरिक्त जिला कलक्टर  
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

1055



Scanned with OKEN Scanner


बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील अपीलांट ने दौराने बहस अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराया एवं कथन किया कि रेस्पोंडेंट संख्या 1 ता 5 के पिता/पति मोटाराम पुत्र बुधराम ने अपने खातेदारी रकबा यथा तहसील सूरतगढ़ के चक 16 एस.एल.डी.ए. के खाता न 10 के पत्थर न 83/380 (5) के किला न 23 मे 0.240 हैक् कमाण्ड व पत्थर न 83/381 (14) के किला न 4-5 मे 0.506 हैक् कुल 0.746 हैक् कमाण्ड रकबा मे 1/2 हिस्सा खातेदारी रकबा में से 0.133 हैक् रकबा पूर्ण प्रतिफल लेकर दिनांक 05.03.2018 को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा द्वारा अपीलांट को बेचान कर दिया, व कब्जा अपीलांट को सौंप दिया था। इस प्रकार बैयनामा पंजीयन होते ही इस रकबा से विक्रेता के खातेदारी अधिकार/हित समाप्त हो गये थे। इस रकबा मे जब मृतक स्वयं के अधिकार समाप्त हो गये तो उसके मरने के बाद यह रकबा रेस्पोंडेंट के नाम विरास्तन इन्तकाल से दर्ज होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जैर अपील रकबा का बेचान रेस्पोंडेंट न 2 की गवाही मे ही हुआ है। पंजीकृत बैयनामा का एक गवाह रेस्पोंडेंट संख्या 2 ही है तथा दुसरा गवाह राजकुमार पुत्र लच्छीराम जाति जाट साकिन भैरुपुरा था। इन दोनो की उपस्थिति मे ही बैयनामा पंजीयन हुआ था। रेस्पोंडेंट संख्या 2 ने मातहत न्यायालय से सारे तथ्य छिपाकर जैर अपील इन्तकाल विधी विरुध स्वीकृत कराया है, जो पूर्णतया कानून के विपरीत होने से काबिल निरस्ती है। जैर अपील रकबा का कब्जा रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 05.03.2018 से ही अपीलाट का चला आ रहा है व अपीलाट ही पंजीकृत बैयनामा के आधार पर अपने खरीदे गये रकबा का खातेदार हो गया था। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी तरह की जांच किये ही जैर अपील इंतकाल स्वीकृत किया है। राज्य सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार बैयनामा दस्तबरदारी विरास्तन इत्यादि इन्तकाल ग्राम पंचायत तस्दीक करेगी। इस प्रकार इस इन्तकाल स्वीकृत करने का क्षेत्राधिकार ग्राम पंचायत को था। अधीनस्थ न्यायालय ने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर अपीलाधीन इंतकाल स्वीकार किया है, जो निरस्ती योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील इंतकाल निरस्त किया जावे तथा अपीलांट द्वारा जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 05.03.2018 द्वारा खरीदशुदा रकबा का इंतकाल अपीलांट के पक्ष में किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

रेस्पोंडेंट संख्या 6 पैरोकार राज ने दौराने बहस राज्य हित को ध्यान में रखते हुए निर्णय पारित करने हेतु निवेदन किया।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया। प्रकरण में रेस्पोंडेंट संख्या 1 ता 5 के पिता/पति मोटाराम पुत्र बुधराम ने अपने खातेदारी रकबा यथा तहसील सूरतगढ़ के चक 16 एस.एल.डी.ए. के खाता न 10 के पत्थर न 83/380 (5) के किला न 23 मे 0.240 हैक् कमाण्ड व पत्थर न 83/381 (14) के किला न 4-5 मे 0.506 हैक् कुल 0.746 हैक् कमाण्ड रकबा मे 1/2 हिस्सा खातेदारी रकबा में से 0.133 हैक् रकबा पूर्ण प्रतिफल लेकर दिनांक 05.03.2018 को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा द्वारा अपीलांट को बेचान कर दिया, व कब्जा अपीलांट को सौंप दिया था, परन्तु बेचान का इंतकाल दर्ज नहीं हुआ। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मोटाराम की शेष भूमि का विरास्तन करते समय बेचान की गई भूमि का भी इंतकाल दर्ज कर दिया, जो विधि विरुद्ध एवं त्रुटिपूर्ण है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन इंतकाल त्रुटिपूर्ण होने से निरस्ती योग्य है, जिसे निरस्त करना हम उचित समझते हैं।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसील सूरतगढ़ का इंतकाल संख्या 141 स्वीकृति दिनांक 06.06.2024 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.), सूरतगढ़ को इस आशय के साथ रिमाण्ड की जाती है कि प्रकरण में उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए तथा मृतक खातेदार द्वारा दिनांक 05.03.2018 को निष्पादित किये गये रजिस्टर्ड बैयनामा का भलीभांती अवलोकन कर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.10.2024 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(कन्हैया लाल सोनगरा)  
अतिरिक्त जिला क्लर्क  
सूरतगढ़ (श्रीद्वंगानगर)